मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

ई-5, पर्यावरण परिसर अरेरा कॉलोनी, भोपाल

क्र./स्था./प्रनिबो/11.—मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के राज्य बोर्ड की 127वीं बैठक दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 में लिये गये निर्णय अनुसार पर्यावरणीय अधिनियमों की परिधि में आने वाले सभी संस्थानों के विरुद्ध न्यायालयीन कार्यवाही करने के लिये अभियोग-पत्र तैयार करने, न्यायालयीन वाद दायर करने, न्यायालय के समक्ष अपील करने, निगरानी प्रस्तुत करने, कोई भी वाद या अपील निगरानी बोर्ड के विरुद्ध प्रस्तुत होती है तो उक्त प्रकरणों में बोर्ड का पक्ष रखने संबंधी शक्तियां निम्नानुसार प्रत्यायोजित की जाती हैं.—

1.	वृहद/मध्यम श्रेणी के उद्योग/संस्थान ..	अध्यक्ष, सदस्य सचिव तथा क्षेत्रीय अधिकारियों को (क्षेत्रीय अधिकारियों को अध्यक्ष की स्वीकृति उपरांत).
2.	लघु श्रेणी के उद्योग/संस्थान ..	समस्त द्वितीय श्रेणी अधिकारियों को (क्षेत्रीय अधिकारियों की स्वीकृति उपरांत).

उक्त प्रत्यायोजित शक्तियां दिनांक 12 दिसम्बर, 2011 से प्रभावशील होंगी.

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. के. जैन,

सदस्य सचिव.

(267-बी.)